RAJYA SABHA

Tuesday, the 20th *April*, 2010/30th *Chaitra*, 1932 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट

*341. **श्री रवि शंकर प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध मिलावटी खाद्य-पदार्थों के संबंध में कोई जानकारी एकत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो देश में कितने प्रतिशत मिलावटी खाद्य-पदार्थ पाये जाने की संभावना है;

(ग) क्या देश में मिलावट-रहित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय-स्तर पर अतिरिक्त कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध की गई वर्ष 2008 की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एकत्र किए गए नमूनों के आधार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट औसतन 7.21 प्रतिशत पाई गई।

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के कार्यान्वयन का कार्य राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्र के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरणों को सौंपा गया है। देश में खाद्य सुरक्षा के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता को समझते हुए संसद ने देश में विभिन्न खाद्य संबद्ध कानूनों के अधीन उपबंधों की विविधता को एकीकृत करते हुए और अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा मानकों, एक समान लाइसेंसिंग आदि को विनियमित करते हुए "खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006" पारित किया है। नया कानून खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमावली सहित मौजूदा खाद्य कानूनों को चरणबद्ध ढंग से प्रतिस्थापित करेगा। इसके अलावा, नए अधिनियमों के उपबंधों के अधीन सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरांे का गठन किया है। नए अधिनियम का उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करना है। यह खाद्य विनिर्माताओं, व्यापारियों आदि को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक खाद्य पदार्थ का निर्माण करने और उसकी आपूर्ति करने का

उत्तरदायित्व भी प्रदान करता है। इसमें खाद्य पदार्थ को वापस लेने की क्रियाविधियों और सुधार करने संबंधी नोटिस जारी करने के बारे में भी उपबंधों की व्यवस्था है। नए अधिनियम के अधीन मामलों के त्वरित निपटान के लिए अधिनिर्णय की प्रक्रियाएं भी शुरू की गई हैं।

Adulteration of food items in the country

†*341. SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government has obtained any information on adulterated food items available in the country;

(b) if so, the percentage of adulterated food items likely to be found in the country;

(c) whether additional steps have been taken at National level to maintain the availability of unadulterated food items in the country; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) According to the latest report available for the year 2008 from the States/UTs in these regards, adulteration in food items on the basis of samples collected was found to be 7.21% on the average.

(c) and (d) The implementation of Prevention of Food Adulteration Act (PFA), 1954 and PFA Rules, 1955 is entrusted to Food (Health) Authorities of the States/Union Territories. Considering the need for a comprehensive approach to food safety in the country, the Parliament has passed the "Food Safety and Standards Act, 2006", integrating the multiplicity of provisions under various food related laws and *inter alia* regulating the food safety standards, uniform licensing, etc. in the country. The new law will replace the existing food laws including the PFA Act/Rules in a phased manner. Further, under the provisions of the new Act, the Government has constituted the Food Safety and Standards Authority of India to carry out the purposes of the said Act. The new Act aims to ensure safe, hygienic and wholesome food for the citizens of the country. It also bestows responsibility on the Food Manufacturers, Traders etc. to manufacture and supply safe, hygienic and wholesome

† Original notice of the question was received in Hindi.

food. It also bestows responsibility on the Food Manufacturers, Traders etc. to manufacture and supply safe, hygienic and wholesome food, It also provides provisions regarding food recall procedures and improvement notices. Adjudication process have also been introduced for speedy disposal of cases under the new Act.

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय मंत्री जी, आपका बहुत ही व्यापक प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है और आप मेरे प्रश्न की गंभीरता को समझते होंगे। आज मिलावट देश में एक कैंसर की तरह फैल रही है। मैंने आपका उत्तर देखा है और क्षमा करिए, मुझे यह उत्तर bureaucratic अधिक लगा। अब आप देख लीजिए कि आपने इसे राज्य की समस्या बताया है। आपकी नाक के नीचे दिल्ली में दूध में कितनी मिलावट हो रही है, घी में कितनी मिलावट हो रही है। यह एक सिंडिकेट है, जो उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, राजस्थान में भी काम करता है। महाराष्ट्र में, मुम्बई में भी दूध में मिलावट हो रही है। यह राज्य की समस्या है, मैं समझता हूं, लेकिन यह एक infra state problem बन रही है। हमारा आपसे यह कहना है कि आप देख लीजिए कि फलों में दवा देकर उसकी cell life बढ़ाई जा रही है। इस सबका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, आप इस बात को समझते होंगे। मेरा आपसे बहुत विनम्रता से एक सवाल है कि तमाम कानूनी बंधन रहने के बावजूद मिलावट रुक क्यों नहीं पा रही है? आपने 7.21 per cent का जो average बताया है, आप हमें इसका source बताने की कृपा करें, क्योंकि मुझे यह पूरा percentage काफी spurious लग रहा है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : सर, मैं माननीय सदस्य, जो बहुत ही पढ़े-लिखे हैं, जानकार हैं, उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे देश के लिए food adulteration एक नासूर है और कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो हर डिपार्टमेंट बहुत जरूरी है, चाहें सड़क हो, शिक्षा हो या कुछ भी हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जब तक शुद्ध खुराक न हो, तब तक ये तमाम चीज़ें बेमानी हैं। मैं पूरा इकरार करता हूं कि जिस तेजी से राज्य सरकारों को इसमें lead लेनी चाहिए थी, वह नहीं ली जा रही है। आज मैं यहां उत्तर प्रदेश में फूड इंस्पेक्टर्स को बधाई देना चाहता हूँ, शायद यहाँ हाउस की नोटिस में न हो, जिन्होंने आज से 5 दिन पहले एक नया इतिहास बनाया। उन्होंने 16 अप्रैल को गाजियाबाद के लोनी में 6 लोग गिरफ्तार किए। इन 6 लोगों की possession से 118 ड्रम्स टेलो (fats) बरामद किए गए और एक ड्रम में 200 लीटर या किलो, लीटर या किलो बराबर ही है, टेलो निकला। इसका मतलब है कि 118 ड्रम्स में 23 हजार किलो या 23 हजार लीटर टेलो था। साथ में 5 और घी के ड्रम्स मिले हैं, जिनको testing के लिए भेज दिया गया है। अब यह मालूम नहीं है कि उन्होंने adulteration के लिए ये ड्रम्स लाए थे या ये already adulterated हैं, वह तो मालूम पड़ेगा। इसका मतलब है कि इन 23 हजार किलो टेलो से maximum और 50 हजार किलो adulterated घी बन सकता है। मैं ऑनरेबल मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम बिल्कुल ऐसी जगह खड़े हैं, जहां हम क्या खाते हैं, यह हमें मालूम नहीं है।

इसीलिए एक नया ऐक्ट बना। सर, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहें ईद हो, दीवाली हो या कोई और बड़ा त्यौहार हो, तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री हर साल, हर राज्य सरकार को यह लिखती है कि इस समय मिठाई या खाने पीने की चीज़ों में ऐडल्ट्रेशन का ख़तरा ज्यादा होता है। साल भर के बाद स्टेट

गवर्नमैंट्स हैल्थ मिनिस्ट्री को अपनी जो सूची भेजते हैं कि मिलावट के कितने केसिज़ हुए, उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आंकड़ें राज्य सरकारों के द्वारा दिए गए हैं, उनके अनुसार 2006 में 87,561 सैम्पल्स कलैक्ट किए गए, जिसमें से 7,386 सैम्पल्स एडल्ट्रेटिड पाए गए, परसेंटेज के हिसाब से यह फिगर 8.44% बनता है इसी तरह से 2007 में 65,280 के करीब सैम्पल्स कलैक्ट किए गए, जिसमें से 4,797 सैम्पल्स ऐडल्ट्रेटिड पाए गए, जिसकी परसेंटेज 7.35% बनती है। 2008 में 63,035 सैम्पल्स कलैक्ट किए गए, जिसमें से 4,096 सैम्पल्स ऐडल्ट्रेटिड पाए गए, जिसकी परसेंटेज 6.50% बनती है। तीनों सालों की ऐवरेज परसेंटेज 7.2% बनती है। इससे पहले कि मैं आगे कुछ बताऊं, मैं माननीय सदस्य का दूसरा सवाल सुनना चाहूंगा, फिर आगे की बात बताऊंगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय मंत्री जी, आपने साफगोई से यह स्वीकार किया कि यह कैंसर है, तो मेरा आपसे आग्रह यह है कि अगर यह कैंसर है, तब तो यह एक नैशनल इश्यू है। अगर हिन्दुस्तान जैसे बड़े मुल्क में त्यौहार के समय में 87,561 और 65,280 सैम्पल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। और उसमें से इतनी बड़ी मात्रा में ऐडलट्रेटिड पाए जाते हैं, यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहां मैं किसी खास प्रदेश की बात नहीं करना चाहता।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने इसके लिए Food Safety and Standards Act, 2006 बनाया है, लेकिन उसको बने हुए भी चार साल हो गए हैं और आपने अपने जवाब में लिखा है कि आप को Adulteration Act को phase out करेंगे। चार साल से यह नया ऐक्ट आ गया है, उसके बावजूद भी यह बीमारी ज्यों की त्यों है और जब यह इंटरस्टेट प्रॉब्लम बन चुका है, क्या इसके बारे में आप अलग से कोई स्पैशल कार्यवाही करने की सोच रहे हैं, कृपया हमें इसके बारे में बताएं?

SHRI GHULAM NABI AZAD : Sir, I think, this is the most important and pertinent question which the hon. Member has raised and this is the apprehension of most of the hon. Member of Parliament that since the new legislation has come into vogue and in spite of that nothing has been done. But, I would like to tell the hon. Member and this august House that the new Act is still not in vogue. So, what has happened Sir, in so far as this legislation is..

श्री रवि शंकर प्रसाद : यह तो और भी गंभीर विषय है कि चार साल से यह ऐक्ट इन्वोक ही नहीं हुआ है।

SHRI GHULAM NABI AZAD : Let me complete. The new comprehensive legislation which consolidates the laws relating to food was enacted by the Parliament and the new Act, namely, the Food Safety and Standards Act, 2006 with an aim to establish Food Safety and Standards Authority of India of laying down science-based standards for food particles and to regular their manufacture, storage, sale and to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. Now, what has happened over a period of time is, and that is most important, Sir, Notification in the

Gazette took place in 2006 but when this legislation came before the House, this particular subject was not with the Health Ministry. It was with the Food Processing Ministry. So, in September 2007, this was transferred to health Ministry and what Health Ministry has done is, immediately in November 2007 it was transferred to the Ministry and the Health Ministry established by Notification food authority, selection of Chairperson and members of the Authority, functions of the executive officers, powers of the Central Government to make rules, power to remove difficulties and the most important thing is, before this law came into being, there were a number of subjects which were administered by other Ministries or departments like Animal Husbandary, Food and Civil Supplies, Health, Food Processing Industries, etc. So, all these had to be brought under one ambit and all employees had to be transferred to the new Food Authority under the Ministry of Health and Family Welfare. So, this is a very, very big legislation. Sir, so far as earlier Act of 1954 is concerned, that contains only 21 Sections. But, this Act has 101 Sections and you will be happy to know that in the first two months...

MR. CHAIRMAN : Could we have shorter answers, please?

SHRI GHULAM NABI AZAD : ... in 2008-09, 43 Sections were notified and now, within the next month, the remaining 58 Sections will be notified. In the meanwhile, the rules have been framed and after that these were sent to the State Governments and the stakeholders concerned. Now, about a week ago, we have received feedback on rules from the State Governments and other stakeholders. We are going to forward to the Law Ministry and after it concurs, I am sure, within the next three months this will become law and will be in vogue.

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, आप इस पर discussion कराइए। ...(**व्यवधान**)... It is a very important issue. So, you allow Half-an-Hour discussion on this.

MR. CHAIRMAN : All right. Fine. You give notice for that.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, मैंने माननीय मंत्री जी का जवाब सुना। इन्होंने कहा कि नया Act अगले महीने notify होगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं और उन्हें बताना भी चाहती हूं कि गाँव के जो दुकानदार हैं उनके पास जो भी माल आता है वह फर्म से आता है। जब आपके इंस्पेक्टर्स वहाँ जाकर उनके samples चेक करते हैं तो वे उन दुकानदारों को harass करते हैं लेकिन जिस फर्म से उनके पास माल आता है उससे इसके बारे में नहीं पूछा जाता या उसके प्रति कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। वहाँ जितने गुड्स हैं, उन्हें गाँव के दुकानदार खुद नहीं बनाते बल्कि वे तो बाहर से ही आते हैं, किसी फर्म से ही आते हैं, इसलिए अगर कोई sample फेल होता है तो उनका फेल होता है। इस बात के लिए क्या इस Act में कोई प्रोविजन है या माननीय मंत्री जी इसके बारे में कुछ सोचेंगे?

श्री गुलाम नबी आजाद : सर, नए एक्ट में जहाँ राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह एक्शन ले, वहीं नए एक्ट में manufacturers पर भी अंकुश लगा है कि वे साफ-सुथरी चीजें बनाएं और साफ-सुथरी चीजें बेंचें तथा अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उस पर penalty का Provision है। Penalty का ऐसा Provision पहले नहीं था। पहले यह Penalty कोर्ट के जरिए हुआ करती थी। वह अब कोर्ट के जरिए नहीं हुआ करेगी बल्कि अब कोर्ट के जरिए सिर्फ imprisonment होगी। इस तरह की चीजों को manufacture करने वाले को एक लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की penalty होगी। इसमें एस.डी.एम. लेवल का adjucating officer मौके पर ही उन्हें सजा देगा और penalty भी लेगा।

श्री राजनीति प्रसाद : सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जो नया Food Safety Act बनाया है उसको कब लागू करेंगे, उसका implementation कब होगा? दूसरा, क्या आप कोई ऐसा कानून बनाएँगे जिससे कि जो food adulteration होता है, जैसे दूध में mixing या घी में mixing होती है, तो इसके लिए ऐसा कोई कानून बने जिससे ऐसे लोगों के अंदर डर की भावना पैदा हो और वह गलत माल हम लोगों को नहीं मिले?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : सर, मैं पहले ही बड़ा लम्बा जवाब दे चुका हूँ। यह जो नया Food Safety Act है, इसमें मैंने जैसा पहले बताया कि जितनी formalities थीं वे तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। यह कई मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेन्ट्स में बिखरा हुआ था, अब इसको एक head में लाया गया है और मुझे पूरा यकीन है कि अगले तीन-चार महीनों में यह अमल में आ जाएगा। इसमें 6 महीने से लेकर उम्र कैद की सजा का provision है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि पूरे देश में तीन सालों में करीब 85000-87000 सैम्पल्स लिये गये और adulteration के मामलों की संख्या 7000-8000...

श्री गुलाम नबी आज़ाद : तीन साल नहीं, एक साल।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : जी हां, आपने एक-एक साल, 2006 और 2008, इन तीन सालों अलग-अलग फिगर्स बताये हैं। उसमें हर साल कितने सैम्पल्स लिये गये और उनमें से कितने adulterated निकले? मैं खुद इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास सैम्पल्स की चेकिंग के लिए जो लेबोरेट्रीज़ हैं, उनकी checking capacity इतनी कम है कि जितने सैम्पल्स लिए जाते हैं, उनमें से मुश्किल से 25-30 प्रतिशत के रिजल्ट आते हैं, बाकी सैम्पल्स वहां एक-एक साल तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। इसकी वजह से आपका जो मौजूदा एक्ट है, वह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। मेरी इस बात को सही मानते हुए क्या मंत्री जी केन्द्र सरकार की तरफ से राज्यों में ऐसी और लैब्स स्थापित करेंगे ताकि जो adulterated food को सैम्पल लिया जाएगा, उसे सही समय पर चेक कर लिया जाए और आपका लॉ ठीक से लागू हो सके तथा adulterated चीजें बिकने पर रोक लग सके?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : सर, राज्यों में 72 के करीब food testing laboratories हैं। हमें अभी इस बात की शिकायत नहीं मिली है कि किस-किस स्टेट में ये कम है। वैसे भी अगर ये कम हैं तो ये राज्य सरकारों के अधीन हैं। यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वे नयी laboratories बनाएँ। जहाँ तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, हमारे पास चार appellate laboratories हैं। अगर किसी प्रोडयूसर या सरकार को यह शक होता है कि वह टेस्ट गलत आ

रहा है और उस पर विवाद हो तो उसे Central laboratories में भेजा जा सकता है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार के ये appellate laboratories हैं। हमारा काम केवल यही है। इसके लिए ज्यादा laboratories खोलने का काम राज्य सरकारों का है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN : Question 342 ..... *(Interruptions)*

श्री बलबीर पुंज : सर ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद : आपको अभी मालूम नहीं है। स्टेट में किसी ने बताया ही नहीं है तो मैं यह कैसे बता दूँ?

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं बल्कि आपसे केवल अनुरोध कर रहा हँू कि यह मिलावट का मामला बड़ा गंभीर है और इसके ऊपर यह मैसेज जाना चाहिए कि मिलावट के खिलाफ सारे मैम्बर्स ...(**व्यवधान**)... यह मैसेज नहीं जा रहा है...(व्यवधान)...

श्री सभापति : यह सजेशन आ चुका है ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं अग्रवाल साहब प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल : इस पर अलग से चर्चा होनी चाहिए...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आपको procedure मालूम है, आप discussion के लिए नोटिस दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

Shipping potential in the country

*342. DR. K. MALAISAMY : Will the Minister of SHIPPING be pleased to state:

(a) whether any study has been undertaken to identify potential areas for shipping Business along the long Coast Line of more than 7500 KMs available in the country;

(b) whether it is a fact that 90 per cent world trade depends either directly or indirectly on shipping business;

(c) whether it is also a fact that the facilities available for R & D in the area of Shipping and Sea Coast are marginal and negligble; and

(d) if so, the measures taken or being taken to improve such areas?

THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI G.K. VASAN) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table.

Statement

(a) Yes, Sir. A report has been submitted by M/s Tata Consultancy Services in December, 2003.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) National Ship Design Research Centre (NSDRC) was set up under the aegis of Ministry of Shipping in 1989 with the objective to promote and design research activities for shipping and ship building. In order to facilitate and promote maritime studies and research, the Indian